पत्र संख्या : 7 वि॰शा॰/मु॰ल॰सिं॰राँची–07–04/2022 ज॰स॰– 139

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांकः 17.10.22

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2022–23 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य हेतु कुल रूपये 137.00 लाख (रूपये एक करोड़ सैतीस लाख मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या– 83/31.03.2022 (Online A.A.-289/03.05.2022, प्र0 स्वी0 की कुल राशि 460.196 लाख), 93/31.03.2022 (Online A.A.-354/09.05.2022, प्र0 स्वी0 की कुल राशि 439.867 लाख) एवं 94/31.03.2022 (Online A.A.-356/09.05.2022, प्र0 स्वी0 की कुल राशि 465.765 लाख)

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2022–23** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन आवंटन संसूचित किया जाता है :–

(लाख रू॰ में)

क्र॰	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2022–23 में बजट उपबंध	पूर्व में निर्गत आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101–सतही जल/ 39– नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05–निर्माण/ 45– निर्माण कार्य विपत्र कोड– 50S47020010139000545	**4900.00**	**82.413**	**137.00**	**219.413**
2.	50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 39– नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05–निर्माण/ 45– निर्माण कार्य विपत्र कोड– 50S47020079639000545	**5555.00**	**230.25071**	**0.00**	**230.25071**
		कुल :–			**312.66371**	**137.00**	**449.66371**
		आवंटित राशि – रूपये एक करोड़ सैतीस लाख मात्र।					

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट–1 में अंकित कार्य प्रमंडल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

3. आवंटित राशि वर्ष **2022–23** के बजट शीर्ष– 47020010139000545 के बजट उपबंध राशि **रू॰ 4900.00 लाख (रूपये उनचास करोड़)** तथा बजट शीर्ष– 47020079639000545 के बजट उपबंध राशि **रू॰ 5555.00 लाख (रूपये पचपन करोड़ पचपन लाख)** मात्र के अंतर्गत है।

4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 एवं 1681, दि॰ 10.06.2015 के आलोक में होगा।

5. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।

6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

10. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

12. झारखण्ड वित्त नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2023 के पूर्व तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका LOC एवं Access no. परिशिष्ट–1 के स्तंभ–15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

17/10/22

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 139 रॉची, दिनांक :– 17.10.22

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, **डोरण्डा/रॉंची/दुमका/गोड्डा/देवघर** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

17/10/22

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 139 रॉंची, दिनांक :– 17.10.22

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉंची/अभियंता प्रमुख–**I** एवं **II**, जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(हरेन्द्र कुमार) सहायक अभियंता	(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि॰)	17/10/22 (प्रशांत कुमार) सचिव

विभागीय पत्रांक 139 दिनांक 17.10.22 का अनुलग्नक परिशिष्ट –1

मुख्य शीर्ष–4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय
लघु शीर्ष–101–सतही जल,
उप शीर्ष–39–नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण
बजट उपबंध (2022–23) – रूपये 4900.00 लाख (रूपये उनचास करोड़) मात्र
विपत्र कोड– 50S47020010139000545

(राशि लाख रूपये में)

क्र॰	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकरारनामा की राशि	मार्च 2022 तक व्यय	वर्ष 2022–23 में			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (10+13)	Online Allotment LOC/ Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोडड्डा (GDDMIR014)	गोडड्डा	पोड़ैयाहाट	कमराबॉध नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण	83/2021-22 dt. 31.03.2022	193.064	289 dt. 03-05-2022	191.152	0.000	0.000	70.000	70.000	70.000	1199/ 55949	
2		गोडड्डा	पथरगामा	नवदाण्डी नाला पर चेकडैम का निर्माण	93/2021-22 dt. 31.03.2022	68.879	354 dt. 09-05-2022	68.149	0.000	0.000	25.000	25.000	25.000	1200/ 55940	
3		गोडड्डा	गोडड्डा	दुमकी नाला पर चेकडैम का निर्माण	94/2021-22 dt. 31.03.2022	70.061	356 dt. 09-05-2022	72.495	0.000	0.000	42.000	42.000	42.000	1201/ 55947	
	योग :–					332.004		331.796	0.000	0.000	137.000	137.000	137.000		

आवंटित राशि – रूपये एक करोड़ सैंतीस लाख मात्र।

(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(प्रशांत कुमार)
सचिव